भाग–I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 अक्तूबर, 2025

संख्या लैज. 24/77.– दि मोटर वहीकलज (हरियाणा ॲमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 1977 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 5 अक्तूबर, 2025 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4–क के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः–

1977 का हरियाणा अधिनियम संख्या 15

मोटर यान (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1977
मोटर यान अधिनियम, 1939, हरियाणा राज्यार्थ,
को संशोधित करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अठाईसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम मोटर यान (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1977 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 64 की उपधारा (2) में, ''किसी पूर्णकालिक न्यायिक अधिकारी'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी न्यायिक अधिकारी'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 1939 के केन्द्रीय अधिनियम 4 की धारा 64 का संशोधन।

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

12172—L.R.—H.G.P., Pkl.